



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2013/माघ 10, 1934

No. 268]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2013/MAGHA 10, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2013

का.आ. 290(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 910(अ), तारीख 21.04.2010 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 के 103.000 कि.मी. से 610.000 कि.मी. (गवालियर-देवास-राऊ वाया इन्दौर बाईपास सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और, प्राधिकरण ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के उपबंध के अनुसरण में, मैसर्स जीवीके शिवपुरी देवास एक्सप्रेसवे प्रा. लि., जो 30.06.2011 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 'पाइगाह हाऊस' 156-159, सरदार पटेल रोड, सिकंदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500 003 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'रियायतग्राही' कहा गया है) के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 पर 236.000 किमी से 566.450 किमी तक शिवपुरी-देवास सेक्शन के पेव्ड शोल्डर्स सहित चार लेन में विकास और उक्त खण्ड के प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु एक करार किया है (जिसे इसमें इसके बाद 'उक्त करार' कहा गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसे सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12

जनवरी, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके बाद 'नियम' कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 272.000 किमी हेतु चार या अधिक लेन के उपयोग पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके बाद 'आधार दर' कहा गया है), और दस करोड़ रूपए या अधिक की लागत वाले बाइपासों के उपयोग पर नीचे सारणी 1 में निर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही का वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसाकि करार में निर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत और उसे प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है:

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (भ.नि.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

टिप्पणियां :

- नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए निर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा :

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
किमी /चैनेज 258.000 (शिवपुरी जिले में जसरामपुरा गांव के पास)	72.210

किमी/चैनेज 340.000 (गुना जिले में पंज गांव के पास)	49.480
किमी/चैनेज 400.000 (गुना जिले में हरीपुरा गांव के पास)	47.910
किमी/चैनेज 465.000 (राजगढ़ जिले में नन्देल्ही गांव के पास)	57.190
किमी/चैनेज 526.000 (उज्जैन जिले में तितरी गांव के पास)	45.210

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए निर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लंबाई हेतु आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्द और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास की लंबाई (किमी में) और नाम जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
किमी / चैनेज 258.000 (शिवपुरी जिले में जसरामपुरा गांव के पास)	5.900	कोलरस
किमी/चैनेज 258.000 (शिवपुरी जिले में जसरामपुरा गांव के पास)	2.800	लुकवासा
किमी/चैनेज 258.000 (शिवपुरी जिले में जसरामपुरा गांव के पास)	4.400	बदरवास
किमी/चैनेज 340.000 (गुना जिले में पंज गांव के पास)	2.200	रूथाई
किमी/चैनेज 340.000 (गुना जिले में पंज गांव के पास)	12.250	गुना
किमी / चैनेज 400.000 (गुना जिले में हरीपुरा गांव के पास)	5.750	बीनागंज
किमी / चैनेज 465.000 (राजगढ़ जिले में नईदल्ही गांव के पास)	8.200	सारंगपुर
किमी/चैनेज 526.000 (उज्जैन जिले में तितोरी गांव के पास)	11.400	शाजापुर
किमी/चैनेज 526.000 (उज्जैन जिले में तितोरी गांव के पास)	7.550	मस्की

गुना बाइपास पर टोल संग्रहण, रियायत करार के अनुच्छेद 49 के प्रावधानों के अनुसार, गुना बाइपास के पूरा हो जाने / इसके संबंध में अनंतिम प्रमाणपत्र जारी हो जाने के बाद ही शुरू होगा ।

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रूपए (दो सौ रूपए मात्र) प्रतिमाह होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरो का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।
4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।
6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होगी ।
8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी 1 और 2 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. की आधार दरों के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा तथा उसे, तदनुसार, कम-से के अंगेजी और स्थानीय भाषा के एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराप्र/13013/670/सीओ/12-13/जीसी-शिवपुरी-देवास (236.000-566.450) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2013

S.O. 290(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 910 (E), dated 21/04/2010, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 103.000 to kilometer 610.000 (Gwalior-Dewas – Rau via Indore Bypass section) of National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s GVK Shivpuri Dewas Expressway Pvt. Ltd. having its registered office ‘Paigah House’ 156-159, Sardar Patel Road, Secunderabad, Andhra Pradesh – 500 003 (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), the successful bidder for bids submitted on 30/06/2011 for the development of Shivpuri – Dewas section from Km 236.000 to Km 566.450 on National Highway No. 3 (hereinafter referred to as the “said section”) to four laning with paved shoulder operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011 (hereinafter referred to as the “Rules”), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 272.000 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as “base rate”) and at one and half times the base rate for bypasses costing Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

424 GI/13-2

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes : -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 258.000 (near Jasrampura village in Shivpuri district)	72.210
Km/Ch. 340.000 (near Panj village in Guna district)	49.480
Km/Ch. 400.000 (near Haripura village in Guna district)	47.910
Km/Ch. 465.000 (near Naidelhi village in Rajgarh district)	57.190
Km/Ch. 526.000 (near Titori village in Ujjain district)	45.210

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length & Names of bypass (in km) for which additional fee is payable	
Km/Ch. 258.000 (near Jasrampura village in Shivpuri district)	5.900	Kolaras
Km/Ch. 258.000 (near Jasrampura village in Shivpuri district)	2.800	Lukwasa
Km/Ch. 258.000 (near Jasrampura village in Shivpuri district)	4.400	Badarwas
Km/Ch. 340.000 (near Panj village in Guna district)	2.200	Ruthai
Km/Ch. 340.000 (near Panj village in Guna district)	12.250	Guna
Km/Ch. 400.000 (near Haripura village in Guna district)	5.750	Binaganj
Km/Ch. 465.000 (near Naidalhi village in Rajgarh district)	8.200	Sarangpur
Km/Ch. 526.000 (near Titori village in Ujjain district)	11.400	Shajapur
Km/Ch. 526.000 (near Titori village in Ujjain district)	7.550	Maksi

* Tolling on Guna Bypass shall start only after the Completion/Provisional Certificate with respect to the Guna Bypass Section has been issued in accordance with the provisions of Article 49 of the concession agreement.

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[F.No. NHAI/13013/670/CO/12-13/GC-Shivpuri-Dewas (236.000-566.450) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.